गणेश नगर मंडल, कोटा में आयोजित होने वाले प्रबुद्धजन स्नेह मिलन समारोह के दौरान माननीय अध्यक्ष का भाषण

श्री महेश विजय जी
श्री चेन सिंह राठौड़ जी
श्री राजेंद्र गुप्ता जी
श्री महेंद्र चौधरी जी
श्री राजेंद्र मेहरा जी
गणमान्यजन, विशिष्ट अतिथिगण, देवियो और सज्जनो;

कोटा के गणेश नगर मंडल में इस प्रबुद्धजन स्नेह मिलन समारोह में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले, मैं इस स्नेह मिलन समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजकों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस समारोह ने मुझे आपके साथ बातचीत करने और आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करने का एक अवसर दिया है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्', अर्थात पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत की संस्कृति विविधतापूर्ण है और यहाँ विभिन्न जातीय समुदाय रहते हैं। भारत की विरासत अत्यंत समृद्ध है। भारत विश्व के उन देशों में से एक है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और साथ ही स्वतंत्र रूप से किसी भी

धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।

पिछले दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत को विश्व स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है। भारत की जी20 की अध्यक्षता को लेकर लोगों में अत्यधिक उत्साह देखा गया है। जी20 भारत के लिए 'अतिथि देवो भव:' की अपनी परंपरा और भारत की क्षमताओं, दर्शन, सामाजिक और बौद्धिक शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन, चिकित्सा उपकरणों और दवाईयों के रूप में सहायता प्रदान की।

भारत सरकार ने दुनियाभर में विभिन्न देशों को ''वैक्सीन मैत्री'' नामक एक विशेष पहल के अंतर्गत भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की। आज दुनिया के अधिकतर देश खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे समय में, भारत के किसान विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं। जब भी मानवता पर कोई संकट आता है तो भारत उससे उबरने में विश्व का पथप्रदर्शन करता है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति है।

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम अपने देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। जैसाकि आप सभी जानते हैं, भारत ने अमृतकाल अर्थात 25 वर्ष बाद जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यह हमारे संकल्पों को पूरा करने और एक नए भारत का निर्माण करने का समय है।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल हो सकता है जब वह अपनी विरासत पर गर्व करे और अपने पिछले अनुभवों से सीख लेता रहे। हम सभी जानते हैं कि भारत की अत्यंत समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। आजादी का यह अमृत महोत्सव भारत के उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर, हमें अपने उन सभी अनगिनत गुमनाम नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस पहल (आजादी का अमृत महोत्सव) की शुरूआत करने का प्रमुख उद्देश्य युवा पीढ़ी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों से अवगत कराना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस पहल से प्रेरणा लेकर वे हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करेंगे जिन्होंने देश के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। यह महोत्सव भारत के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अमृत काल में हम अपने देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का भी संकल्प लेते हैं। इस दिशा में हमने 'आत्मनिर्भर भारत' बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मिशन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, युवा शक्ति और मांग जैसे पाँच महत्वपूर्ण घटकों पर बल देकर देश और देश के नागरिकों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से प्रत्येक भारतीय के मन में आशा और आत्मविश्वास पैदा

हुआ है। हमारा लक्ष्य सामूहिक विश्वास और संकल्प के जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु *'जन भागीदारी-सभी को साथ लेकर चलना'* पहल के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण करना है।

नया भारत एक ऐसा आधुनिक भारत होगा जहां पूरा देश संवेदना की भावना के साथ कार्य करेगा। एक ऐसा समाज जहां बच्चे, युवा, वृद्धजन, पुरुष अथवा महिलाएं, गरीब अथवा वंचित जैसे सभी हितधारकों के सर्वांगीण विकास और सहभागिता का उचित ध्यान रखा जाएगा, जहां सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना कुछेक लोगों का विशेषाधिकार नहीं होगा; जहां प्रत्येक भारतीय को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का हमारा लक्ष्य हमारे इस स्वप्न को भलीभाँति परिलक्षित करता है।

यह हमारी उपलब्धियों और खामियों पर भी विचार करने का समय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं का स्वप्न एक ऐसी सुकर शासन प्रणाली सुनिश्चित करना था जो देश के लिए सबसे उपयुक्त हो और जहां जनता के हितों को केंद्र में रखा जाए। यह हमारे संविधान निर्माताओं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हमारे देश का संविधान इतना उत्कृष्ट है कि यह विगत सात दशकों से देश का मार्गदर्शन कर रहा है। भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मजबूत आधार और संस्थागत संरचना के कारण ही देश की लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सफल हो पाई है।

विभिन्न सरकारों ने अनेक कानूनों और नीतिगत उपायों के माध्यम से संविधान निर्माताओं के भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के सपने को साकार करने का प्रयास किया है | इसके परिणामस्वरूप, हमने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां और सफलता प्राप्त की है किंतु, अभी भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल, स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय एवं अन्य आर्थिक सहायता, लाभों और सेवाओं का प्रत्यक्ष अंतरण, गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधाएँ, किसानों के लाभ हेतु नीतियां और कार्यक्रम, वंचित वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे नीतिगत उपाय करके संविधान निर्माताओं के इस सपने को साकार किया जा सकता है।

भारत में हमारी प्राथमिकता नागरिकों को आधुनिक लोक प्रशासन के केंद्र में रखना होनी चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करने वाले हमारे संविधान में भारत में एक व्यापक कानूनी तंत्र और संस्थागत प्रणाली और इसके परिणामस्वरूप एक नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। सुशासन और नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था का आपस में गहरा संबंध है। सुशासन की स्थापना करने वाली प्रत्येक सरकार के लिए नागरिकों का कल्याण और विकास सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों को केंद्र में रखना अनिवार्य है।

सुशासन का लक्ष्य एक ऐसा परिवेश तैयार करना है जिसमें सभी नागरिकों को वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के बिना अपनी सभी क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिले। अब शासन में

नागरिकों की भूमिका में बदलाव आया है जिसमें नागरिक न केवल विकास का लाभ प्राप्त करने वाले रह गए हैं बल्कि वे अब विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी भी कर रहे हैं। यह बदलाव इस बात का प्रतीक है कि नागरिकों को निर्णय लेने की उस प्रक्रिया में भागीदारी करने का क़ानूनी अधिकार है जिसका उनके जीवन, व्यवसाय और समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

किसी भी लोकतान्त्रिक समाज के फलने-फूलने के लिए सूचना का निर्बाध आदान-प्रदान आवश्यक है। लोकतंत्र के सफल कार्यकरण के लिए ज़रूरी है कि नागरिकों तक पारदर्शी तरीके से सभी सूचनाएं पहुंचें। एक लोकतांत्रिक सरकार को जनमत का सम्मान करना चाहिए और अपने नागरिकों को हर जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। सूचना का अधिकार सबसे लोकप्रिय कानूनों में से एक है। बड़ी संख्या में लोग इस कानून से लाभान्वित हुए हैं। इस कानून ने व्यवस्था और लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डाला है। दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बीपीएल वर्ग के युवाओं को इस कानून से काफी लाभ हुआ है।

हाल ही में संसद द्वारा जन विश्वास विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत आपके रोज़मर्रा के जीवन को आसान बनाने और कारोबार में सुगमता लाने के लिए छोटे अपराधों के निरपराधिकरण के लिए 19 मंत्रालयों और विभागों की देखरेख में 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 उपबंधों में संशोधन किया गया है।

मैं इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे

पहले राज्य विधानमंडल में और फिर संसद में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं कोटा की जनता का आभारी हूं क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था।

अंत में, एक नया और जीवंत भारत बनाने के आपके प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम समाज में सामाजिक सद्भाव और शांति स्थापित करने में सहायक होगा और हमारे देश को एक शांत और विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करेगा। इसी के साथ, मैं आपके सभी भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।